महत्वपूर्ण एवं खास

भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू, कई प्रस्तावों पर हो रही चर्चा

बिलासपुर/रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में अनेक प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। बैठक में सभी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है।

अनियंत्रित ट्रक की ठोकर से शिक्षक की हुई मौत

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ग्राम सोनारपाल के चपका मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को ठोकर मारने से शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार बस्तर निवासी शिक्षक राधेलाल ठाकुर 45 वर्ष की बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे शिक्षक दूर फेंका गया एवं वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी, ट्रक चालक काफी नशे में था एवं बाइक को टक्कर मारने के बाद चपका मोड़ से घसीटते हुए सोनारपाल बाजार स्थल तक भगाकर ले आया जहां कुछ स्थानीय लोगों ने को घेर लिया। मृतक शिक्षक कुम्हली हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर थे।

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

कोंडागांव (आरएनएस)। कलेक्टोरेट में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपए ठगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसलिकोंटा निवासी प्रार्थी नरेन्द्र कुमार ठाकुर ने मर्दापाल थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि फॉरेस्ट कॉलोनी नहरपारा निवासी बिरेन्द्र कुमार बंजारे ने उसकी और बहन की नौकरी लगवाने की बात कहकर 2.50 लाख रुपए ठग लिए, 01 वर्ष से नौकरी नहीं लगी और पैसे भी नहीं लौटाए। नरेन्द्र की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

सूने मकान से 18 हजार हजार का सामान पार

कोरबा (आरएनएस)। सूने घर से अज्ञात चोरों ने बर्तन, गैस सिलेंडर समेत चांदी का सिक्का, पायल चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर झगराखांड थाना में पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तेजकांत ने बताया कि उसके पिता जर्नादन प्रसाद तिवारी एसईसीएसल में कालरीकर्मी रहे, बीते 27 अगस्त उनकी मौत होने के कारण वह अपनी मां को लेकर 12 अगस्त को अपने गांव प्रयागराज चला गया था। 14 जनवरी को 12 बजे पड़ोस में रहने वाले विनोद ने फोन कर बताया कि उनके क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है, साथ ही उन्होंने चोरी की आशंका जताई, सूचना मिलने पर झगराखांड छिंदी दफाई स्थित अपने क्वार्टर में जाने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर सामना बिखरा पड़ा था। घर से करीब 18 हजार का सामान चोरी कर चोर ले गए हैं।

सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर गुम 2 मोटर सायकल पुलिस ने किसा बरामद

जगदलपुर (आरएनएस)। पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थी मोहन यादव निवासी डोकरीघाट पारा ने मौखिक सूचना दर्ज कराया कि प्रार्थी अपना मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क्रमांक- सीजी 17 केएस 7892 उत्कल भवन के पास खड़ा किया था। वापस आकर देखा मोटर सायकल वहां नहीं मिला। इसी प्रकार प्रार्थी मोईन अहमद निवासी तोंगपाल ने अपना मेस्ट्रो स्कुटी क्रमांक- सीजी 17 केएस 6713 को प्रतीत आटो गैरेज के पास खड़ा किया। जो कुछ समय बाद वापस आकर देखा स्कुटी वहां पर नहीं मिला। दोनो प्रार्थी से लिखित आवेदन प्राप्त किया गया। घटनास्थल के आसपास सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पता तलाश एवं खोजबीन के दौरान महादेवघाट पारा में मोटर सायकल क्रमांक- सीजी 17 केएस 7892 तथा स्कुटी क्रमांक- सीजी 17 केएस 6713 को भैरमदेव वार्ड में लावारिस हालात में खड़ा हुआ मिला। जिसे थाना लाकर प्रार्थी को तलब कर, तस्दीक पश्चात मोटर सायकल एवं स्कुटी को सुपुर्दनामा पर दिया गया। वाहन मिलने पर दोनो प्रार्थी ने समस्त थाना स्टाफ व बस्तर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया।

औद्योगिक नीति 2019-24 प्रारूप को अनुमोदित किया गया, 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित रखे जाएंगे : भूपेश बघेल

- केबिनेट की बैठक में जूट निर्माण प्रोजेक्ट, कौशल्या मातृत्व योजना सहित अनेक लाभकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्वीकृति मिली
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 752.81 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ रूरल हाउंसिंग बोर्ड को अनुमति दी गई

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास में आज वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत होने वाले विधानसभा सत्र के बजट के पूर्व केबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में की गई जिसमें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना कौशल्या मातृत्व योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लिए न केवल बड़ी राशि स्वीकृति की गई अपितु कुछ नियमों में संशोधन प्रस्तावों पर भी केबिनेट की मोहर लगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ''जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट'' हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ''इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र'' हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।

कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि - पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि दिनांक 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा।

नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रूपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रूपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छ.ग. राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से आत्मनिर्भर बनाने प्रदान की जाऐगी प्रोत्साहन राशि

सूरजपुर (आरएनएस)। योजनान्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा। जिसका उपयोग हितग्राही की पुत्री अपने शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने पुत्री के विवाह हेतु किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20,000 हजार प्रोत्साहन, सहायता राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे पुत्री के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।

श्रम विभाग अन्तर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों के लिए नवीन योजना मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना बनाई गई है। जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 जनवरी 2022 को की गई थी। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता राशि 20,000 हजार रूपये का भुगतान एकमुस्त हितग्राही के पुत्री के खाते में देय होगी।

योजना हेतु पात्रता

लडक़ी के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण किसी भी मण्डल में पंजीकृत ना हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो । पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता हो। आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मण्डल अन्तर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना, राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे।

योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैं। आवेदन ऑनलाईन हेतु आवश्यक दस्तावेज हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र, हितग्राही की पुत्री का आधार कार्ड की प्रति, हितग्राही की पुत्री के बैंक पासबुक की प्रति, हितग्राही की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में (जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंकसूची) प्रमाण पत्र की प्रति, हितग्राही की पुत्री के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय, निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति तथा नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्व. घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति । जिले के पात्र हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला श्रम कार्यालय सूरजपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

रेत और फर्शी पत्थर परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाई, 6 वाहन ज़ब्त

महासमुंद (आरएनएस)। जिले में अवैध रेत परिवहन एवं फर्शी पत्थर के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। अब अवैध रूप से बिना रायल्टी अभिवहन पारपत्र के रेत या फर्शीपत्थर परिवहन करने पर नकेल कसने की ज़िला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।

कलेक्टर निलेशकुमार रसागर खनिज के अवैध रूप से परिवहन की रोकथाम हेतु संयुक्त उडऩदस्ता दल एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस दल में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारी है। इस दल ने अपना काम शुरू कर दिया जिसका आज परिणाम सामने आया। दल द्वारा आज शनिवार शाम को अवैध रेत एवं फर्शी पत्थर परिवहन करते हुए कुल 6 वाहन पकड़े हैं। खनिज अधिकारी एच.डी.भारद्वाज के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई की गई। खनिज अधिकारी ने बताया कि बिना रायल्टी अभिवहन पारपत्र के परिवहन करने के फलस्वरूप वाहन मालिक रमेश साहू ,वाहन क्रमांक सीजी 04 एन.ई. 7109 एवं जितेन्द्र कोसले वाहन क्रमांक सीजी महेन्द्रा सोल्ड, खोमन ध्रुव वाहन क्रमांक सीजी 06 0632 तथा रूढी राम वाहन क्रमांक एम.एच. 40 बी.एच. 7686 कुल 04 वाहनों को पकड़ कर थाने की अभिरक्षा में खड़ी कराई गई है तथा पुलिस विभाग द्वारा दो वाहनों को बिना रायल्टी पर्ची खनिज परिवहन करने के कारण जब्त कर कार्रवाई की गई है, इस प्रकार कुल 06 वाहनों में खनिज अवैध परिवहन करते पाये जाने पर कार्यवाही किया जा कर वाहन थाना के सुपुर्द में खड़ी कराई गई है।

एक लाख का इनामी मिलिशिया कमाण्डर के साथ 4 नक्सली गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर जिले की पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर एक लाख का इनामी मिलिशिया कमाण्डर समेत चार नक्सलियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार चारों नक्सलियों के खिलाफ पखनार चौकी में गोपनीय सैनिक की हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज थे, पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। गिरफ्तार चारों नक्सलियों पर जान से मारने, आईईडी लगाने, धमकी मारपीट और हत्या की वारदातों में शामिल थे।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के तहत 30 जनवरी को डीएफ व डीआरजी की संयुक्त टीम के द्वारा चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है इन नक्सलियों में एक लाख का ईनामी जनमिलिशिया कमाण्डर जयराम उर्फ जिबो मडक़ामी, जनमिलिशिया सदस्य हड़मा मडक़ामी निवासी ग्राम नडेगार डोंगरीपारा थाना कटेकल्याण जनमिलिशिया सदस्य, बुधराम माड़वी निवासी ग्राम नडेनार डोंगरीपारा सीएनएम सदस्य, एवं जनमिलिशिया सदस्य भीमा उर्फ बिन्दु मडक़ामी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार नक्सलियों विरूद्ध पखनार चौकी में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

48 घण्टों के बाद हो सकती हैं बारिश, ठंड में आई कमी

रायपुऱ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हवा की दिशा बदल चुकी है और अब उत्तर-पश्चिम से हवा आ रही है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ऐसे में बुधवार दो फरवरी से प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

तापमान में हुई बढ़ोतरी की वजह से सोमवार को अन्य दिनों की अपेक्षा ठंड से थोड़ी राहत मिली। रायपुर सहित प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि फरवरी माह में सरगुजा संभाग में वर्षा सामान्य से अधिक रहेगी। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से कम और अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में वर्षा सामान्य से बहुत कम और न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे।

सोमवार को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते ठंड में थोड़ी कमी आई है। रायपुर का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान बलरामपुर में 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में उत्तर-पश्चिम से हवा आ रही है। हवा की दिशा बदलने की वजह से मंगलवार एक फरवरी को प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद दो फरवरी को प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। तीन फरवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश के भी आसार बने हुए है।

फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग- स्ट्रॉबेरी कारोबारी पीट कर बोले दोबारा दुकान लगाई तो कर देंगे मर्डर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में फिल्मी अंदाज में स्ट्राबैरी बेचने वाले कारोबारी का अपहरण कर आरोपी उसे अपने साथ नवा रायपुर लेकर गए। वहां मारा-पीटा रुपए छीन लिए और दोबारा दुकान लगाने पर मर्डर करने की धमकी देते हुए उसे नवा रायपुर में घुमाने के बाद उसे सुनसान जगह पर छोड़ भाग गए। मामले में रायपुर की पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने ही इस अपहरण कांड की प्लानिंग की थी।

मामला शंकर नगर के भारत माता चौक इलाके का है। यहां नसीम नाम का व्यवसाय स्ट्राबेरी बेचने का काम करता है। कुछ दिन पहले इसे अमजद शेख नाम के युवक ने फोन कर धमकी दी थी, अमजद ने दावा किया था कि उसके पिता भी यहीं स्ट्राबेरी बेचने का काम करते हैं। अगर नसीम स्ट्राबेरी बेचेगा तो उसके पिता का धंधा ठप होगा। अमजद ने नसीम को धमकी भी दी थी और शहर छोडक़र चले जाने को कहा था। नसीम ने इसकी बात नहीं मानी। कल भारत माता चौक के पास नसीम स्ट्राबेरी बेच रहा था तभी सफेद रंग की टाटा सफारी कार में चार लोग आए और अपने साथ जबरदस्ती नसीम को उठा ले गए। चारों बदमाश नसीम को नवा रायपुर लेकर गए नसीम के पास रखे 30 हजार रुपए आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट लूट लिए। आरोपियों ने नसीम को धमकी देते हुए कहा कि अमजद के कहने के बावजूद स्ट्राबेरी यहां बेच रहे हो तुम्हारी हत्या कर देंगे। शहर छोडक़र चले जाओ। देर रात उन्होंने नसीम को छोड़ा और भाग गए इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। फौरन जांच टीम ने नवा रायपुर और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। नसीम ने धमकियों के बारे में भी बताया इसके बाद अमजद और उसके भाई अफजल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने ही इस अपहरण कांड को अंजाम दिया था। अपहरण में दो और युवक शामिल थे, जिनका नाम पंकज सोनी और हिमांशु वासनिक है। अमजद और अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया है इनके दो साथी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। आरोपियों ने बताया कि इनकी दुकान के करीब स्ट्राबेरी बेचने की वजह से रास्ते से हटाने के मकसद से नसीम का अपहरण किया था।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

14 वाहनों के विरूद्ध नियामनुसार कार्यवाही करते हुए वाहन मालिकों से 2 लाख 50 हजार 488 रूपए अर्थदंड की वसूली

- कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देश पर अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्यवाही जारी

कवर्धा (आरएनएस)। राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध परिवहन एवं उत्खनन के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है।

प्रभारी खनिज अधिकरी ने बताया कि 30 जनवरी 2022 के पूर्व तक विभाग एवं जिले में गठित टॉस्क फोर्स द्वारा खनिज रेत, मुरूम, मिट्टी (ईंट) एवं गिट्टी का अवैध परिवहन में संलग्न 14 वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन मालिकों से अर्थदण्ड के रूप में 2 लाख 50 हजार 488 रूपए वसूल कर खजाना दाखिल कराया जा चूका है। इसके अतिरिक्त गिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न 9 वाहनों को जप्त किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।

उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देश पर खनिज अमला एवं जिला स्तरीय खनिज उडऩदस्ता टीम द्वारा जिले में खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध सतत् जांच एवं कार्यवाही की जा रही है।

जांच के दौरान खनिजों पत्थर, गिट्टी, मुरूम, मिट्टी, रेत आदि का अवैध उत्खनन, परिवहन करते पाए जाने पर ऐसे कार्यों में संलग्न मशीनरी एवं वाहनों को नियमानुसार जप्त कर अवैध उत्खनन, परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है तथा अर्थदण्ड की वसूली भी की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

बाघ ने इलमिडी में दो मवेशियों का किया शिकार

बीजापुर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से करीब 55 किमी दूर बसे गांव इलमिडी में इन दिनों बाघ की मौजूदगी के कारण शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। ग्रामीणों मिली जानकारी के अनुसार बीते तीन दिनों में बाघ के हमले से दो मवेशियों की जानें गई हैं। इलमिडी संजय पारा निवासी सोढ़ीशंकर व आसरम पारा के ककेम समैया की मवेशी एक-एक दिन के अंतराल में बाघ ने शिकार किया है।

बीजापुर वन मंडल के डीएफओ अशोक पटेल ने बताया की दो मवेशियों पर वन्य जीव द्वारा हमले कर जान लेने की जानकारी मिली है। घटना स्थल में पदचिन्हों के फोटो लिए गए हैं। आगे जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के उपनिदेशक देवेंद्र मेहर ने कहा कि इलाके में बाघ के भ्रमण की जानकारी मिल रही है और ट्रेकिंग कैमरे स्थपित होने से सही जानकारी उपलब्ध होगी।